कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत, सीकर

क्रमांकः 1506 दिनांकः 18-8-17

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड सीकर

विषयः—हर्ष पर्वत तथा जीणमाता सडकां का कार्य के सम्बन्ध में ।
प्रसंगः—कार्यालय उप वन संरक्षक,सांवली रोड़ सीकर का पत्रांक
एफ( )एफसीए/उवसंसी/2016/13016 दिनांक 21.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के कम में लेख है कि हर्ष पर्वत तथा जीणमाता सड़क के कार्य माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा में है उपवन संरक्षक सीकर ने उक्त प्रसांगिक पत्र के द्वारा निवेदन किया गया है कि हर्ष पर्वत तथा जीणमाता के निर्माण कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि डायवर्जन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यावरण एवं क्लाईमेंट मंत्रालय के वेब पोर्टल **OSMFCP** पर ऑनलाईन प्रस्तुत कराने हेतु लिखा गया है जिसके बारे में आपको अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने पूर्व में भी निर्देश दिये गये थे परन्तु इस कार्य में आपके द्वारा कोई प्रगति की सूचना इस कार्यालय को नही नही दी गयी है।

आपको विदित होना चाहिए कि उपवन संरक्षक सीकर ने अपने पत्र के द्वारा उक्त भूमि रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि का होना बतलाया गया है वन भूमि में भारत सरकार की अनुमति बिना कार्य किया जाना वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना गया है । उल्लघंन करने पर भारत सरकार के नियमानुसार कार्यवाही को श्रेणी में आती है उक्त सड़क 1980 के पूर्व की है तो सम्बन्धित दस्तावेज लम्बाई चौड़ाई पूर्व विवरण के साथ वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पार्ट—1 की पूर्ति एवं जीटीसीट,खसरा मेंप,गूगल मेंप सहित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए अख्य भवन राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

इसें प्राथमिकता प्रदान करते हुए गम्भीरता सें लेवें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर (राज.) 4670 25.8.17

(जी.सी.मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत सीकर
दिनांकः

क्रमांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1 श्रीमान जिला कलक्टर सीकर।
2 उप वन संरक्षक सीकर।

FCA

अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत सीकर

24/8/17

\\Ashok\h\MY DOCUMENT\Vikasji/TA SIR\Letter.docx10